(वाद सं0–809/4/20/2021)

13.07.2023

प्रसंगाधीन मामला दिनांक–03.01.2021 को दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के विभिन्न मामलों में पारित दिशा निर्देशों के विपरीत, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा 3/4/5 अनैतिक व्यापार (अधिनियम) 1956 से संबंधित मधेपुरा थाना कांड संख्या 01/21, दिनांक–01.01.2021 के गिरफ्तार छः अभियुक्तों को हथकड़ी व कमर में रस्सा लगाकर समाचार पत्र में चित्र प्रकाशित करने से संबंधित परिवादी, गगन गुंजन, के परिवाद से संबंधित है।

उपरोक्त पर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्रतिवेदन की माँग की गई। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, मधेपुरा थाना के लिखित आवेदन के आधार पर 06 (छह) नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध ''नील एण्ड फैमिली होटल'' को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने, वेश्यावृति से उपार्जन कर जीविका का निर्वाह करने एवं वेश्यावृति कराने के लिए किसी व्यक्ति को लेने अथवा उत्प्रेरित करने के आरोप में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराओं–3/4/5, के अन्तर्गत मधेपुरा थाना कांड संख्या–01/21, दिनांक–01.01.2020 संस्थित किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा उपरोक्त होटल से आपत्तिजनक स्थिति में 06 (छह) अभियुक्तों (जिनमें दो 19वर्ष का, एक 16वर्ष का तथा एक 12वर्ष का था) को पकड़ा गया, जबकि बरामद महिला/लड़कियों को पूछताछ के बाद उनके परिजनों के सुपूर्द कर दिया गया। प्रतिवेदनानुसार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के निर्देशानुसार गिरफ्तार सभी 06 अभियुक्तों को प्रेस–कन्फ्रेंस के लिए लाया गया था, जिसमें गिरफ्तार एक अभियुक्त, सुमित श्रीवास्तव, प्रेस–कान्फ्रेंस में उपस्थित नहीं होना चाहते थे तथा बार–बार भागने का प्रयास कर रहे थे। इसी कारण उसके कमर में रस्सा लगाया गया।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि उसकी आपत्ति प्रसंगाधीन कांड

के अनुसंधान से संबंधित नहीं है, उसकी आपत्ति मात्र यह है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों (जिनमें बच्चे तथा किशोर भी थे) को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न मामलों में दिये गये दिशा निर्देशों के विपरीत हथकड़ी व रस्सा लगाकर तस्वीर खींचकर समाचार–पत्र में प्रकाशित कर उनके मानवाधिकार का हनन किया गया।

परिवादी के प्रत्युत्तर पर पुनः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्रतिवेदन की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा का अपने दूसरे प्रतिवेदन में कथन है कि उपरोक्त कांड के गिरफ्तार अभियुक्तों को प्रेस–कन्फ्रेंस के लिए लाया जा रहा था, जिसमें गिरफ्तार अभियुक्त, सुमित श्रीवास्तव प्रेस–कान्फ्रेंस में शामिल नहीं हो रहे थे तथा बार–बार भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का यह कहना है कि सुमित श्रीवास्तव, पूर्व से 03 कांडों के प्राथमिकी अभियुक्त रहे है।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के उपरोक्त दोनों प्रतिवेदनों तथा उक्त पर परिवादी के प्रत्युत्तर पर अपना मंतव्य देने हेतु राज्य आयोग द्वारा दिनांक–12.12.2022 को पारित अपने आदेश द्वारा निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना से जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया। निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना का मंतव्य/जांच प्रतिवेदन संचिका के पृ0–27–21/प0 पर रक्षित है। अपने प्रतिवेदन में निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के कार्यालय कक्ष में पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गिरफ्तार अभियुक्तों को हथकड़ी व कमर में रस्सा लगाकर प्रेस–कन्फ्रेंस कर समाचार–पत्रों में चित्र प्रकाशित करना उनके मानवाधिकार का हनन का स्पष्ट मामला है।

तत्पश्चात् राज्य आयोग द्वारा दिनांक–27.03.2023 को निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के जांच–प्रतिवेदन/मन्तव्य पर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा का अपने प्रतिवेदन में कथन है कि गिरफ्तार अभियुक्तों में सुमित श्रीवास्तव ‘‘नील एण्ड फैमिली होटल’’ के मालिक तथा संचालक हैं तथा पूर्व से तीन आपराधिक मामलों के अभियुक्त हैं। प्रतिवेदन में प्रसंगाधीन कांड में गिरफ्तार अन्य पांच

अभियुक्तों (जिनमें एक 12वर्ष का तथा दो 16वर्ष का है) के आपराधिक इतिहास का मात्र उल्लेख किया गया है, लेकिन यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि वह किन मामलों में पूर्व में अभियुक्त रहे हैं। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि पुलिस को यह आशंका थी कि न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के दौरान अभियुक्त भाग सकते हैं। मधेपुरा में पूर्व में पुलिस अभिरक्षा से अभियुक्त के भागने की इस तरह की घटना घट चुकी है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा का अपने प्रतिवेदन में यह भी कथन है कि पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, मधेपुरा समाहरणालय के तीसरी मंजिल पर अवस्थित है तथा कार्यालय का बरामदा पूर्णतः खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में दर्ज कांड के अभियुक्तों के पूर्व के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह संभावना थी कि गिरफ्तार अभियुक्तगण खुद को अपमानित महसूस कर लोकलज्जावश कार्यालय के बरामदे पर से या फिर तीन मंजिला पर स्थित कार्यालय पर चढ़ते समय छलांग लगाकर भाग सकते हैं या फिर उनके छलांग लगाने से कोई अप्रिय हादसा हो सकती है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा के दृष्टिकोण से गिरफ्तार अभियुक्तों के कमर में रस्सा लगाया गया था। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि जब गिरफ्तार अभियुक्तों को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में लाया गया था, उसी स्थिति में उन्हें प्रेस के सामने प्रस्तुत किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनील बत्रा बनाम् दिल्ली प्रशासन–(AIR1978 SC 1675), प्रेमशंकर शुक्ला बनाम् दिल्ली प्रशासन (AIR1980 SC 1535), Citizens For Democracy बनाम् असम राज्य एवं अन्य (1995(3)SCR943) व अन्य कई मामलों में गिरफ्तार अभियुक्तों के हथकड़ी व रस्सा लगाने के मामले में स्पष्ट दिशा–निर्देश दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हथकड़ी व रस्सा लगाने तथा प्रेस–कन्फ्रेंस कर उनके चित्र को प्रकाशित करने की पुलिस की आम प्रवृति की हमेशा भर्त्सना की गयी है तथा यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि बिना न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के किसी भी गिरफ्तार अभियुक्त को हथकड़ी व रस्सा नहीं लगाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कथन है कि

रस्सा/हथकड़ी लगाकर किसी विचाराधीन अभियुक्त का चित्र प्रकाशित करने से उसकी समाज में प्रतिष्ठा गिर जाती है, जो न्यायालय द्वारा विचारण के बाद दोषमुक्त कर दिये जाने पर भी पुनर्स्थापित नहीं हो सकती है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रसंगाधीन मामले में गिरफ्तार 06 अभियुक्तों में दो अभियुक्तों की उम्र 12वर्ष एवं 16वर्ष है, जो विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक है जिन्हें तत्काल J.J. Board के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु किशोर पुलिस को सौंपा जाना चाहिए था। प्रसंगाधीन मामले में पुलिस द्वारा इस अनिवार्य विधिक प्रक्रिया का पालन न कर उन दोनों के भी मानवाधिकार का हनन किया गया है।

**संचिका के साथ संलग्न समाचार–पत्र में प्रकाशित चित्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सभी विचाराधीन 06 अभियुक्तों को पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में हथकड़ी व रस्सा लगाकर उसका चित्र प्रकाशित किया गया है जो गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के मानवाधिकार हनन का स्पष्ट मामला है।**

अतः उपरोक्त परिस्थिति में मामले से संबंधित तथ्यों व परिस्थितियों पर पूर्ण विचारोपरान्त राज्य आयोग द्वारा प्रसंगाधीन मामले में निम्नलिखित अनुशंसा की जाती हैः–

**(1) राज्य आयोग तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के उपरोक्त कृत्य की भर्त्सना करती है।**

**(2) प्रसंगाधीन मामले के पीड़ित सभी 06 अभियुक्तों को उनके मानवाधिकार हनन के क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्येक पीड़ित/अभियुक्त को पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये, आदेश पारित होने के आठ सप्ताह के अन्दर, राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

**(3) राज्य सरकार प्रसंगाधीन मानवाधिकार हनन से संबंधित पुलिस के इस तरह की प्रवृति को रोकन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निर्गत करें, जिससे कि भविष्य में इस तरह के कृत्य की पुनरावृति न हो सके।**

कार्यालय, उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन हेतु आज पारित आदेश की प्रति के साथ, परिवादी के परिवाद–पत्र (पृ0–2–1/प0), उक्त पर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के प्रतिवेदनों (पृ0–13–11, 20–19 व 45–44/प0), निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के जांच–प्रतिवेदन (पृ0–27–25/प0), परिवादी के प्रत्युत्तर (पृ0–22/प0), की प्रति संलग्न करते हुए अनुपालनार्थ **मुख्य सचिव, बिहार सरकार को भेजते हुए इसकी एक प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाय।**

अनुपालन प्रतिवेदन की प्रत्याशा में संचिका दिनांक–04.10.2023 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक